न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत।
उपस्थित : वरूण कौशिक, उ0प्र0 न्यायिक सेवा, यू0पी0 3239

UPBG040118042020

श्रीमती पूजा बनाम मोनू आदि।
अंतिम आख्या संख्याः 27/2019
विविध वाद संख्याः 939/2021
मु0अ0सं0: 47/2019
अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 313, 307, 354 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–दोघट, जिला–बागपत।

11.12.2021

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वादिनी मुकदमा **श्रीमती पूजा** को तामिल हेतु सूचित किया गया। वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रार्थनापत्र समर्थित शपथ पत्र दाखिल करते हुए कथन किया कि उसे अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सुना व अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात थाना **दोघट** द्वारा मामले की विस्तरित जांच करते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की है। विवेचना के दौरान वादिनी मुकदमा के बयान लिये गए है। वादिनी मुकदमा द्वारा मुकदमा समाप्त करने की याचना की गई है। अतः प्रार्थनापत्र वादी मुकदमा स्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली पर मौजूद केस डायरी, अन्य पुलिस प्रपत्र व वादी की प्रोटेस्ट पिटीशन को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में मुकदमा हाजा में इसी स्तर पर कार्यवाही समाप्त करना न्यायोचित होगा।

आदेश

थाना **दोघट** द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 27/2019 दिनांकित 04.07.19 स्वीकार की जाती है। पत्रावली में अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। अतः नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(वरूण कौशिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।